सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 179/17 निर्णय दिनांकः 8.3.2018

1. मोहम्मद सलीम पुत्र स्व. जफर अहमद जाति मुसलमान निवासी खटिकों का मोहल्ला, कुरैशी मंजिल बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–03–2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 28–03–2017 जिसके द्वारा अपीलांट को भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद श्रेणी का रकबा होने के कारण खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 662–700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 194/35 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि का दिनांक 24–03–1984 को भूमि आवंटन की गई। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि मोहरबंद गजट में आरक्षित भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन के उपरान्त अपीलांट का आवंटन यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि आराजी जैर पूर्व से ही राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत मुहरबन्द गजट में अधिसूचित होने के कारण सामान्य आवंटन के तहत आवंटित नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो खारिज कर दिया परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि की एवज में अन्य भूमि का आवंटन नहीं कि गया। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे।

चूंकि अपीलांट बतौर भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपील अंदर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द गजट में आरक्षित होने के कारण अन्य को आवंटित हो चकी है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है तथा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर चक 662—700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 194/35 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि का दिनांक 24—03—1984 को आवंटन की गई। अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांटको उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया क्योंकि उक्त भूमि मोहरबंद गजट में आरक्षित भूमि थी। **उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा दिनांक 28—03—2017 को चक 662—700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 194/35 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि का किया गया आवंटन इस आधार पर निरस्त किया गया कि आराजी जैर विशेष गजट दिनांक 09—02—2001 में प्रकाशित हैए इसलिए सामान्य आवंटन में आवंटित नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण सुओमोटोरिव्यू किया जाकर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जाता है।**

(2) प्रकरण में आवेदक आवंटी को आवंटन सहालकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन योग्य भूमियों व श्रेणी तथा वर्गीकरण का विवरण विभागिय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया उपधारित है। आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन अधिकारी की अनुशंसा के बाद

जॉच ही सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में भूमि का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन दिनांक 24–03–1984 को किया गया है।

(3) पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा भूमि का कब्जा हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाते रहे व कार्यालय में चक्कर लगाने के बाद वर्ष 2017 में यकायक ज्ञात होता है कि उक्त भूमि विशेष श्रेणी की है, सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है, तथा उक्त भूमि मोहरबन्द गजट में आरक्षित है। इसलिए अपीलांट को सामान्य श्रेणी में आवंटित उक्त भूमि निरस्त की जाती है। यह एक घोर अन्याय व विभागीय लापरवाही का उदाहरण है।

(4) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को आवंटित आराजी जैर का आवंटन अन्य को किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) जब अदालत हाजा के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत हो चुके है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कृतव्य है कि अपीलांट के विरूद्व हुई इसप्रकार की अनियमितता के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना व अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम रहते हुए अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटनशुदा भूमि/विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(6) अपीलांट का आवंटन बतौर भूमिहीन के बजाय मोहरबन्द श्रेणी की भूमि का किया जाना साबित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया जबकि अपीलांट की पात्रता कायम है। चूंकि अपीलांट को मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 6 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–03–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8.3.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर